>

Title: Need to constitute an autonomous commission to determine the minimum support price for agricultural produce in the country.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

16वीं लोकसभा में आने के बाद लोक महत्व के प्रश्न में बोलने का मेरा यह पहला मौका है। मैं इसके माध्यम से स्वतंत्रता के बाद से देश के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि के हिस्से में निरंतर गिरावट आ रही है। वर्ष 2012-13 के राष्ट्रीय आय के अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार सकल घरेलू उत्पादन में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान 13.7 प्रतिशत है। वर्ष 1950 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश 51 प्रतिशत था। आज भी हमारी 60 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। देश में कृषि की दुर्दशा के पीछे कई कारण हैं। किंतु अतिशय दुखद है कि नीति निर्माता, नौकरशाह आदि इस तथ्य की अनदेखी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में बिचौलिए, जमाखोर, साहूकार आदि किसानों का अधिक शोषण करते हैं। विगत 13 वर्षों के दौरान पूरे देश में तीन लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि लागत और मूल्य आयोग, सीएसीपी कुछ कृषि वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य नीयत करता है। अक्सर ऐसा होता है कि सीएसीपी द्वारा नीयत न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए लाभकारी साबित नहीं होता है। ऐसा लगता है कि सीएसीपी किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने संबंधी अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहा है। यदि उचित दिशा-निर्देश दे कर कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नीयत करने के लिए किसी पूर्णतः स्वायत कानून आयोग की स्थापना की जाती है तो देश में किसानों के कष्टों को कम करने में बहुत सहायता मिलेगी। अंततः ऐसा आयोग स्थापित किया जाए।

इससे साथ-साथ महाराष्ट्र में अकाल है, तो अकाल के सर्वेक्षण के लिए केंद्र से समिति भेजी जाए और ज्यादा से ज्यादा अनुदान दिया जाए, इसकी मैं मांग करता हूं।

श्री शिवकुमार उदासि (हावेरी) : महोदय, मैं श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): महोदय, मैं श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।